2025:CGHC:34873–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 611/2019

{विशेष न्यायाधीश(अत्याचार निवारण),ज़िला जांजगीर–चांपा द्वारा विशेष सत्र विचारण क्रमांक 27/2016 में दिनाँक 26–2–2019 को पारित निर्णय से उद्भूत}

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 04/07/2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक: 22/07/2025

जितेंद्र सिंह राजपूत,पिता सुरेंद्र सिंह राजपूत, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– मंगला, थाना सिविल लाइन बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। (जेल में)

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराःअजाक जांजगीर (जिसका उल्लेख आक्षेपित निर्णय में नहीं है), जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

–––प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक 705/2019

सुनील ध्रुव,पिता स्व. श्री गंगाराम ध्रुव, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– भीमा तालाब के पास, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

(जेल में)

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराःथाना(अजाक), जांजगीर, जिला जांजगीर– चांपा, छत्तीसगढ़

––– प्रत्यर्थी

दाण्डिक अपील क्रमांक 681/2019

दिलहरन मिरी,पिता श्री उमेद दास, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी– बिनोरिडिह, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

(जेल में)

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः जिला मजिस्ट्रेट, जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़ ।

–––प्रत्यर्थी

दाण्डिक अपील क्रमांक 609/2019

राजेश कुमार,पिता अग्निहोत्री दाउद, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी– मिशन कंपाउंड, जांजगीर, थाना जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

(जेल में)

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराःअजाक जांजगीर (जिसका उल्लेख आक्षेपित निर्णय में नहीं है), जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

–––प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा

दोषमुक्ति अपील क्रमांक 676/2019

उषा देवी नोरगे, पति स्व. सतीष नोरगे, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी– गांव नरियरा, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

––– अपीलार्थी

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी, थाना अनु.जाति/अनु.जनजाति, जिला जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।

2. जितेंद्र सिंह राजपूत, पिता सुरेंद्र सिंह राजपूत, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– मंगला, थाना सिविल लाइन बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

––– प्रत्यर्थीगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 611/2019 में अपीलार्थी जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1)की ओर से : श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अकथ कुमार यादव, अधिवक्ता।

दाण्डिक अपील क्रमांक 705/2019 में अपीलार्थी सुनील ध्रुव (अ–2) की ओर सेः श्री ऋषि राहुल सोनी, अधिवक्ता।

दाण्डिक अपील क्रमांक 681/2019 में अपीलार्थी दिलहरण मिरी (अ–3) की ओर सेः श्री सी.के.केशरवानी, अधिवक्ता की ओर से उपस्थित श्री रोशन दुबे, अधिवक्ता

दाण्डिक अपील क्रमांक 609/2019 में अपीलार्थी राजेश कुमार (अ–4) की ओर सेः श्री सुमित सिंह और सुश्री वैशाली जेशवानी, अधिवक्तागण

दोषमुक्ति अपील क्रमांक 676/2019 में अपीलार्थी उषा देवी नोरगे की ओर सेः श्री राहुल तामस्कर, अधिवक्ता की ओर से सुश्री प्रगति पाण्डेय, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर सेः श्री रणबीर सिंह मरहास, अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं श्री अरविंद दुबे, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगलपीठः –

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी

सीएवी निर्णय

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल,

1.1) "दाण्डिक अपीलों के इस समुह तथा दोषमुक्ति अपील में, हमें विशेष सत्र विचारण क्रमांक 27/2016 में विशेष न्यायाधीश (अत्याचार निवारण), जिला जांजगीर–चांपा द्वारा दिनांक 26–2–2019 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय की वैधता, विधिमान्यता एवं औचित्यता का निर्णय करना है। यह निर्णय '**खाकी वर्दीधारी पुरुषों**' अर्थात्, पुलिस उप–निरीक्षक जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1), पुलिस आरक्षक सुनील ध्रुव (अ–2), पुलिस आरक्षक दिलहरण मिरी (अ–3) और सैनिक राजेश कुमार (अ–4) को पुलिस थाना मुलमुला की पुलिस अभिरक्षा में दिनांक 17–9–2016 को सायं 5:30 बजे सतीष नोरगे की अभिरक्षात्मक मृत्यु के लिए दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है, जो **डी.के. बसु विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य**[1] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में हुआ था।"

दोषसिद्धि एवं दण्डादेश

1.2) "विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षिप्त में '1989 का अधिनियम') की

1 (1997) 1 SCC 416

धारा 3(1)(j) और 3(2)(v) के अधीन विरचित आरोपों से दोषमुक्त करते हुए, यहाँ सभी अपीलार्थीगण अर्थात् जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1), सुनील ध्रुव (अ–2), दिलहरण मिरी (अ–3) और राजेश कुमार (अ–4) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध किया और प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा ₹ 2,000/– के अर्थदण्ड,अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा से दंडित किया। न्यायालय ने यह पाया कि दिनांक 17–9–2016 को सायं 5:30 बजे पुलिस थाना मुलमुला में, अपने समान आशय के अग्रसरण में, अ–1 से अ–4 ने सतीष नोरगे (अब मृतक) के साथ मारपीट की, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है, जिसके कारण उसके शरीर पर 26 चोटें आईं और उसकी मृत्यु मानव वध थी। इस निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त व्यक्तियों (अ–1 से अ–4) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन इस न्यायालय के दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता का आह्वान करते हुए दाण्डिक अपीलें प्रस्तुत की हैं, जबकि मृतक सतीष नोरगे की पत्नी ने अभियुक्त व्यक्तियों (अ–1 से अ–4) को 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(j) और 3(2)(v) के अधीन दोषसिद्धि की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अधीन दोषमुक्ति अपील प्रस्तुत की है।"

<u>अभिरक्षात्मक मृत्यु</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिरक्षात्मक मृत्यु मानवीय गरिमा का गंभीरतम उल्लंघन और मौलिक तथा मानवाधिकारों के हनन की उच्चतम श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। यह केवल जीवन का प्रत्याख्यान मात्र नहीं है, बल्कि हिंसा और यातना के माध्यम से अवैध राज्य शक्ति का अभिकथन है, जो प्राधिकार के आवरण के पीछे निष्पादित किया जाता है। जब विधि के रक्षक ही ऐसी क्रूरता के अपराधी बन जाते हैं, तो यह संवैधानिक मूल्यों और जवाबदेही के व्यवस्थित विघटन का संकेत देता है। विधि के शासन द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक समाज में, ऐसी मौतें केवल दुखद नहीं हैं—ये न्याय का असहनीय विश्वासघात हैं। राज्य, एक संवैधानिक इकाई के रूप में, जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों पर खरा उतरने के लिए बाध्य है।

2.2) **<u>डी.के. बसु</u>** (पूर्वोक्त) प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने यह घोषित करते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 व 22(1) के अधीन गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को न्यायसंगत और सावधानीपूर्वक संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता में मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार शामिल है, और निम्नानुसार अवधारित किया: –

> "17. ... अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता' को मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार शामिल करने वाला माना गया है और इस प्रकार, इसमें राज्य या उसके कार्याधिकारियों द्वारा की जाने वाली यातना और हमले के विरुद्ध एक गारंटी भी स्वतः ही सम्मिलित होगी। ..."

2.3) **<u>भगवान सिंह व एक अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य</u>**[2] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने पुलिस अधिकारियों के कर्त्तव्यों और उनके कृत्यों के परिणामों पर विचार किया, जिनका वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर प्रभाव हो सकता है। यह निम्नानुसार है: –

> **"7.** किसी प्रकरण को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि शव का पता नहीं चला है, जब अन्य साक्ष्य निर्णायक रूप से यह स्थापित करते हैं कि मृतक की मृत्यु अभियुक्तों के हाथों हुई है। किसी भी पुलिस अधिकारी का कुछ विश्वसनीय सामग्री के आधार पर किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने या उसे गिरफ्तार करने का विधिमान्य अधिकार हो सकता है, परंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी गिरफ्तारी विधि के अनुसार होनी चाहिए और पूछताछ का अर्थ चोट पहुँचाना नहीं है। यह अपने वास्तविक अर्थ में और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, अर्थात् जांच को प्रभावी बनाने के लिए। किसी व्यक्ति को यातना देना और थर्ड–डिग्री पद्धतियों का उपयोग करना मध्ययुगीन प्रकृति के हैं और वे अमानवीय तथा विधि के विपरीत हैं। पुलिस अपने बंद दरवाजों के पीछे ठीक वही कार्य निष्पादित कर रही होगी जिसे हमारी विधिक व्यवस्था की मांगें निषिद्ध करती हैं। ...
>
> **8.** यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने, जैसा कि इस प्रकरण में हुआ है, आधुनिक युग में भी ऐसी पद्धतियों को त्यागा नहीं है। उन्हें शारीरिक यातना का सहारा लेने के बजाय कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना चाहिए। यदि विधि के रक्षक स्वयं अपराध करने में संलिप्त होते हैं, तो समाज का कोई भी सदस्य सुरक्षित और संरक्षित नहीं है। यदि पुलिस अधिकारी, जिन्हें नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना है, ऐसी पद्धतियों में संलिप्त होते हैं, तो वे नागरिकों के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। यह एक शिकारगाह के रक्षक का शिकारी बन जाने से भी अधिक जघन्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.4) इसी प्रकार, **<u>दगडू विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य</u>**[3] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया: (एससीसी पृष्ठ 92, कण्डिका 88)

> "... पुलिस, अपनी व्यापक शक्तियों के साथ, अपराधों का पता लगाने की अपनी तत्परता में सीमा पार करने के लिए प्रवृत्त होती है और उन लोगों के विरुद्ध मजबूत बांह का उपयोग करने के लिए प्रलोभित होती है जो उनके एकांत अधिकारिता के

2 (1992) 3 SCC 249
3 (1977) 3 SCC 68

अधीन आते हैं। न्याय के व्यापक हित में उस प्रवृत्ति और उस प्रलोभन को आरंभ में ही दबा दिया जाना चाहिए।"

<u>अभियोजन का प्रकरण</u>

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 17–9–2016 को, देवेंद्र कुमार साहू (अ.सा.–20), आपरेटर, सी.एस.पी.डी.सी.एल., विद्युत सब–स्टेशन, नरियरा में पदस्थ, ने प्रदर्श पी–31 के माध्यम से पुलिस थाना मुलमुला को सूचित किया कि सतीष नोरगे (अब मृतक), निवासी ग्राम नरियरा, सब–स्टेशन नरियरा में शराब का सेवन कर उपद्रव कर रहा है, जिसे रोज़नामचा सान्हा में प्रदर्श पी–31ए के रूप में दर्ज किया गया। तत्पश्चात, थाना प्रभारी जे.एस. राजपूत (थानाधिकारी) ने उक्त सूचना को प्रदर्श पी–32 के माध्यम से पंजीबद्ध करने के उपरांत, आरक्षकों दिलहरण मिरी (अ–3) और सुनील ध्रुव (अ–2) के साथ उक्त रोज़नामचा सान्हा प्रदर्श पी–31ए की पुष्टि हेतु सब–स्टेशन नरियरा के लिए प्रस्थान किया और वहाँ पहुँचने पर उन्होंने पाया कि सतीष नोरगे शराब के नशे में था और उसके मुँह से अत्यधिक शराब की गंध आ रही थी तथा आँखें लाल थीं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 के अनुसार सतीष नोरगे को चिकित्सा परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पामगढ़ ले जाया गया, जिस पर डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा.–11) ने प्रदर्श पी–14 के माध्यम से उसका एम.एल.सी. किया और पाया कि सतीष नोरगे (अब मृतक) शराब के नशे में है, मुँह से अत्यधिक शराब की गंध आ रही है, आँखें लाल हैं और वह ठीक से खड़ा होने में असमर्थ है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अ–1 से अ–3 ने पुलिस थाना पहुँचने के बाद सतीष नोरगे (अब मृतक) को नशे की हालत में और सब–स्टेशन कार्यालय नरियरा में उपद्रव करते देखा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 एवं 116(3) के अधीन कार्यवाही की। तत्पश्चात, रोज़नामचा सान्हा क्रमांक 603 के माध्यम से सतीष नोरगे को गिरफ्तार किया गया और उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार के सदस्यों को भेजी गई। इसके बाद, पुनः रोज़नामचा सान्हा क्रमांक 604 पंजीबद्ध किया गया, जिसमें यह उद्धृत किया गया कि सतीष नोरगे की चिकित्सा स्थिति ठीक नहीं है और वह उल्टी कर रहा है, इसलिए उसे उपचार हेतु अ–2 से अ–4 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पामगढ़ ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक ने सूचित किया कि उसे मृत अवस्था में लाया गया है। सतीष नोरगे की मृत्यु की सूचना कि उसे सी.एच.सी., पामगढ़ में मृत लाया गया है, डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा.–11) द्वारा प्रदर्श पी–9 के माध्यम से दिनांक 17–09–2016 को दी गई। सी.एच.सी., पामगढ़ में धोबी रामफल (अ.सा.–6) द्वारा मर्ग सूचना दी गई, जिसे प्रदर्श पी–10 के रूप में दर्ज किया गया। सतीष नोरगे के शव की मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी–4 के माध्यम से किया गया, और तत्पश्चात, तीन डॉक्टरों की एक टीम, अर्थात् डॉ. आर.एस. जोशी, डॉ. अन्विता ध्रुव और डॉ. के.के. दाहिरे (अ.सा.–12) ने प्रदर्श पी–15 के माध्यम से शवपरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने शव पर कुल 26 चोटें पाईं और मृत्यु का कारण शरीर पर एकाधिक चोटों को बताया गया, जिसके कारण कंट्युजन और हृदय–श्वसन गति अवरोध हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19–09–2016 को

अपराह्न 3 बजे प्रदर्श पी–17 के माध्यम से पंजीबद्ध किया गया उसके बाद मर्ग सूचना और अपराध विवरण प्रपत्र प्रदर्श पी–16 के माध्यम से तैयार किया गया। मृतक के आंतरिक अंगों की जब्ती प्रदर्श पी–18 के माध्यम से की गई और विसरा रिपोर्ट प्रदर्श पी–23 ए के माध्यम से आंतरिक अंगों में कोई विष नहीं पाया गया।

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। समुचित विवेचना के उपरांत, अभियुक्त/अपीलार्थीगण पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन अपराध के लिए अभियोग– पत्र प्रस्तुत किया गया, इसके अतिरिक्त, जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1) पर अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(j) और 3(2)(v) के अधीन अपराध के लिए भी अभियोग– पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिकारिता वाले दाण्डिक न्यायालय के समक्ष अभियोग– पत्र प्रस्तुत किया गया और प्रकरण को सत्र न्यायालय, जांजगीर–चांपा को उपार्पित किया गया, जहाँ से विद्वान विशेष सत्र न्यायाधीश (अत्याचार निवारण), जिला जांजगीर–चांपा को प्रकरण विधि सम्मत विचारण, सुनवाई और निराकरण हेतु को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

6. अभियुक्त/अपीलार्थीगण ने दोष अस्वीकार किया और बचाव में प्रवेश किया। अपराध को साबित करने हेतु, अभियोजन ने लगभग तीस साक्षियों का परीक्षण कराया और वस्तु ए–1 (जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि) के अतिरिक्त 37 दस्तावेज़ों को प्रदर्शित किया। बचाव पक्ष ने कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया, तथापि, अपने प्रकरण के समर्थन में नौ दस्तावेज़ों को प्रदर्शित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>विचारण न्यायालय का निष्कर्ष</u>

7. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्य की विवेचना के उपरांत, अपीलार्थी जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1) को अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(j) और 3(2)(v) के अधीन आरोपों से दोषमुक्त करते हुए, अपीलार्थीगण (अ–1 से अ–4) को इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया, जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई हैं, जबकि मृतक सतीष नोरगे की पत्नी परिवादी उषा देवी नोरगे ने दोषमुक्ति अपील प्रस्तुत की है।

8. विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सतीष नोरगे की मृत्यु प्रकृति में माननवध थी और यह उसे पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिए जाने के बाद हुई थी, और आगे यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि सतीष नोरगे की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुई थी और उसकी मृत्यु माननवध थी। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया है कि सतीष नोरगे के शरीर पर पाए गए चोटें इस तथ्य के कारण हैं कि उसे पुलिस अभिरक्षा में पीटा गया था और अपीलार्थीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सतीष नोरगे की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में अभिरक्षात्मक हिंसा के कारण कैसे हुई, और यह सुखसागर (अ.सा.–2) –

ग्राम सरपंच, प्रकाश नोरगे (अ.सा.–3) – मृतक का पुत्र, मिठाईलाल नोरगे (अ.सा.–4) – मृतक का चाचा, रवीन्द्र कुमार (अ.सा.–5) और विनिता नोरगे (अ.सा.–13) के साक्ष्य से आगे साबित होता है।

अपीलार्थीगण की ओर से तर्क

9. दाण्डिक अपील क्रमांक 611/2019 में अभियुक्त/अपीलार्थी जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने पूरजोर तर्क किया कि मृतक की मृत्यु का कारण माननवध की प्रकृति का नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसे विशेषज्ञ अर्थात् डॉ. के.के. दाहिरे (अ.सा.–12) द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जाना है, जो यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि मृत्यु का कारण माननवध की प्रकृति का था। उन्होंने आगे तर्क किया कि सब–स्टेशन नरियरा में ग्रामीणों की भारी भीड़ थी और ग्रामीण वहाँ एकत्र हुए थे तथा सतीष नोरगे को ग्रामीणों द्वारा पीटा गया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई और यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ उसकी मृत्यु जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1) की अभिरक्षा में हुई हो। वैकल्पिक रूप से, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अ–1 ने सतीष नोरगे को उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से पीटा था और यह अधिकतम, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आएगा। अ–1 पहले से ही दिनाँक 25–09–2016 से अभिरक्षा में है, इसलिए उसे पहले ही भुगती गई अवधि के लिए दंडादिष्ट किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दाण्डिक अपील क्रमांक 705/2019 में अभियुक्त/अपीलार्थी सुनील ध्रुव (अ–2) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि राहुल सोनी ने तर्क किया कि मृतक को अस्पताल ले जाने और रोज़नामचा सान्हा (प्रदर्श पी–32) में उल्लिखित अनुसार वापस लाने के अतिरिक्त, सुनील ध्रुव (अ–2) की उपस्थिति बिल्कुल भी स्थापित नहीं होती है, इसलिए वह दोषमुक्ति का पात्र है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों अर्थात् **मध्यप्रदेश राज्य विरुद्ध श्यामसुंदर त्रिवेदी व अन्य**[4] तथा **सुनील महादेव जाधव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[5] का अवलंब लिया।

11. दाण्डिक अपील क्रमांक 681/2019 में अभियुक्त/अपीलार्थी दिलहरण मिरी (अ–3) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रोशन दुबे ने तर्क किया कि दिलहरण मिरी (अ–3) की भूमिका रोज़नामचा सान्हा प्रदर्श पी–32 में उल्लिखित अनुसार सीमित है और इस प्रकार, उसका प्रकरण सुनील ध्रुव (अ–2) के समान है और इसलिए वह भी दोषमुक्ति का पात्र है।

12. दाण्डिक अपील क्रमांक 609/2019 में अभियुक्त/अपीलार्थी राजेश कुमार (अ–4) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुमित सिंह ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय राजेश कुमार (अ–4) को दोषसिद्ध करने में पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि वह वाहन चालक था, उसकी भूमिका थाने के स्वामित्व और अधिपत्य वाले वाहन को चलाने तक सीमित है, उसने कथित अपराध में कोई सक्रिय

4 (1995) 4 SCC 262
5 (2013) 15 SCC 177

भूमिका नहीं निभाई है और मृतक उसकी अभिरक्षा में नहीं था, इस प्रकार, उसे विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था, इसलिए वह दोषमुक्ति का पात्र है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अर्थात् **बालू उर्फ बाला सुब्रमण्यम व एक अन्य विरुद्ध राज्य (केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी)**[6] का अवलंब लिया।

परिवादी/मृतक की पत्नी की ओर से तर्क (दोषमुक्ति अपील में)

13. दोषमुक्ति अपील क्रमांक 676/2019 में परिवादी/अपीलार्थी उषा देवी नोरगे – मृतक सतीष नोरगे की पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रगति पाण्डेय ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय अभियुक्त/अपीलार्थी जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1) को अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(j) और 3(2)(v) के अधीन आरोपों से दोषमुक्त करने में पूरी तरह से अनुचित है, यह पूरी तरह से जानते हुए कि मृतक अनुसूचित जाति से संबंधित है, और इसलिए अ–1 को उक्त आरोपों से दोषमुक्त करना विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है, जिसका दोषमुक्ति अपील में अ–1/प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने, साथ ही दोषमुक्ति अपील में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने भी गंभीरतापूर्वक विरोध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से तर्क

14. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री रणबीर सिंह मरहास ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि यह अपीलार्थी (अ–1 से अ–4) ही हैं जिन्होंने सतीष नोरगे को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अभिरक्षा में लिया और तत्पश्चात, उसे पुलिस अभिरक्षा में मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया और उसकी मृत्यु को विचारण न्यायालय द्वारा माननवध पाया गया है, और उसके शरीर पर कुल 26 चोटें पाई गईं जो स्पष्ट रूप से स्थापित करती हैं कि सभी अपीलार्थीगण ने उसे निर्दयतापूर्वक पीटा जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई और तत्पश्चात उसे सी.एच.सी., पामगढ़ ले जाया गया, जिसका आगे साक्ष्य सुखसागर (अ.सा.–2), प्रकाश नोरगे (अ.सा.–3), मिठाईलाल नोरगे (अ.सा.–4), रवीन्द्र कुमार (अ.सा.–5) और विनिता नोरगे (अ.सा.–13) द्वारा दिया गया है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि सुखसागर (अ.सा.–2) के कथन के अनुसार, जब मृतक को अस्पताल से पुलिस थाने वापस लाया गया, तो उसने पानी माँगा और बताया कि उसे क्रुरतापूर्वक मारा गया है। इसी प्रकार, प्रकाश नोरगे (अ.सा.–3), जो मृतक का पुत्र है, के कथन के अनुसार, पुलिस थाने में बैठे समय, उसके पिता को अत्यधिक दर्द हो रहा था और उन्होंने उससे पानी माँगा, उस समय उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों ने उन्हें लकड़ी के डंडे और पैरों से मारा था। मिठाईलाल नोरगे (अ.सा.–4) ने कथन किया है कि उसने देखा कि पुलिस कर्मी मृतक को मार रहे थे। विनिता नोरगे (अ.सा.–13) के कथन के अनुसार, मृतक के हाथ बंधे हुए थे और पुलिस कर्मी उसे मार रहे थे। इस प्रकार, यह एक ऐसा मामला है जहाँ अभिलिखित दोषसिद्धि एवं

6 (2016) 15 SCC 471

दण्डादेश की पुष्टि की जानी चाहिए और यह ऐसा मामला भी नहीं है जहाँ अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–II के एक हल्के अपराध में परिवर्तित किया जा सके, क्योंकि यह हत्या की कोटि में आने वाला माननवध का मामला है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अर्थात् **प्रिथिपाल सिंह व अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य व एक अन्य**[7] का अत्यधिक अवलंब लिया है। अतः सभी चारों दाण्डिक अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है, साथ ही अभिलेख का भी सावधानी एवं गहनतापूर्वक परिशीलन किया है।

16. अभियोजन का प्रकरण आंशिक रूप से सुखसागर (अ.सा.–2), प्रकाश नोरगे (अ.सा.–3), मिठाईलाल नोरगे (अ.सा.–4), रवीन्द्र कुमार (अ.सा.–5) और विनिता नोरगे (अ.सा.–13) के साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण के पंचशील का गठन करने वाले पाँच स्वर्णिम सिद्धांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **शरद बिरदीचंद सारदा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य**[8] के प्रकरण में प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें माननीय न्यायाधिपतिगण ने अपनी रिपोर्ट के कण्डिका 153 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: –

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "153. इस निर्णय का एक गहन विश्लेषण यह दर्शाएगा कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला पूरी तरह से स्थापित माने जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है:
>
> (1) वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए।
>
> यहाँ यह विचार में रखा जाए कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियाँ 'अवश्य होनी चाहिए' या 'होनी चाहिए' न कि 'हो सकती हैं'। जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी सहबराओ बोबडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य[9] में अभिनिर्धारित किया था, जहाँ निम्नानुसार अवधारित किया गया था:
>
> 'निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि कोई न्यायालय दोषसिद्ध करने से पहले अभियुक्त को दोषी 'अवश्य होना चाहिए' न कि केवल 'हो सकता है' और 'हो सकता है' तथा 'अवश्य होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और यह अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।
>
> (2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

7 (2012) 1 SCC 10
8 (1984) 4 SCC 116
9 (1973) 2 SCC 793

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक संभावित परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के साथ सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं में कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

<u>अभियोगात्मक परिस्थितियाँ</u>

17. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के कण्डिका 102 में 12 अभियोगात्मक परिस्थितियाँ निकाली हैं और आगे यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि मृतक को लगी चोटों की प्रकृति और जिस तरीके से चोटें पहुंचाई गईं, उसे देखते हुए, मृतक की मृत्यु प्रकृति में माननवध थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन अभियुक्त/अपीलार्थीगण (अ–1 से अ–4) को दोषसिद्ध करने की कार्यवाही की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

102– उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य की निम्नानुसार श्रृंखला निर्मित होती हैः–

(a) दिनांक 16–9–16 को विद्युत सब स्टेशन नरियरा में भीड़/गांव वालों द्वारा सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) से मारपीट नहीं किया जाना।

(b) दिनांक 17–9–16 को विद्युत सब स्टेशन नरियरा में दिन के 1.55 बजे के कुछ समय पूर्व भीड़ / गांव वालों द्वारा सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) से मारपीट नहीं किया जाना।

(C) दिनांक 17–9–16 को 1.55 बजे के कुछ समय पूर्व विद्युत सब स्टेशन नरियरा से अभियुक्तगण द्वारा सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) को जीवितावस्था में पकड़ा जाना /अभिरक्षा में लेना।

(d) दिनांक 17–9–16 को दिन के 1.55 बजे चिकित्सक डॉ० रश्मि डाहिरे अ0सा011 द्वारा सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) का परीक्षण कर प्रदत्त रिपोर्ट प्र0पी014–अनुसार सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) चोटिल अथवा चोटग्रस्त नहीं था। अर्थात अभियुक्तगण द्वारा सतीष कुमार सूर्यवंशी को पुलिस अभिरक्षा में लिए जाते समय सतीष कुमार नोरगे चोटिल अथवा चोटग्रस्त नहीं था।

(e) रोजनामचा सान्हा रिपोर्ट प्र०पी० 33–दिनांक 17–9–16 अभियुक्तगण द्वारा विद्युत सब स्टेशन नरियरा से सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) को अभिरक्षा में

लेकर सी०एच०सी० पामगढ़ में डॉ०रश्मि डाहिरे अ०सा011 से प्रथम मेडिकल परीक्षण (प्र 0 पी014) कराने के बाद दिन के 2.30 बजे थाना मुलमुला लाना।

(f) रोजनामचा सान्हा रिपोर्ट प्र०पी० 34 समय 2.35 बजे अभियुक्तगण द्वारा सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु गिरफ्तार करना।

(g) रोजनामचा सान्हा रिपोर्ट दिनांक प्र 0 पी035 दिन के 3.15 बजे सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) की तबीयत बिगड़ने पर अभियुक्तगण द्वारा ईलाज हेतु सी०एच०सी० पामगढ़ रवाना होना।

(h) दिनांक 17–9–16 को शाम के 5.30 बजे डॉ०रश्मि डाहिरे अ 0 सा011 द्वारा परीक्षण कर सतीष कुमार नोरगे (सुर्यवंशी) को मृत घोषित करना (प्र०पी०७)

(I) दिनांक 18–9–16 को सतीष कुमार खाखा न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी अ 0 सा027 द्वारा प्रदत्त सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) के शव का पंचनामा प्रतिवेदन प्र 0 पी04 (दिन के 2.00 बजे) में सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) के शरीर पर एक से अधिक चोटें पाया जाना।

(J) डॉ० के०के०डाहिरे अ 0 सा012 तथा अन्य दो चिकित्सक की टीम द्वारा दिनांक 18–9–16 को दिन के 3.45 बजे सतीष कुमार नोरगे (सूर्यवंशी) का पोस्टमार्टम कर प्रदत्त रिपोर्ट प्र०पी० 15 में मृतक सतीष कुमार सूर्यवंशी के शरीर पर कुल 26 चोटें पाया जाना।

(k) डॉ० के० के०डाहिरे अ 0 सा012 तथा डॉ० आर०एस० जोशी एवं डॉ० अन्विता ध्रुव की टीम द्वारा पोस्टमार्टम पश्चात प्रदत्त प्र०पी० 15 रिपोर्ट में मृतक सतीष कुमार सूर्यवंशी की मृत्यु का कारण उपरोक्त 26 चोटें यकृत फटने और श्यांसावरोध से होना।

(l) अभियुक्तगण की पुलिस अभिरक्षा में मृतक सतीष कुमार नोरगे के शरीर पर आयी/पायी गयी चोटों का अभियुक्तगण द्वारा स्पष्टीकरण नहीं देना।

<u>अभिरक्षात्मक मृत्यु के प्रकरण में साक्ष्य और प्रमाण</u>

18. **<u>श्यामसुंदर त्रिवेदी</u>**<u>(पूर्वोक्त)</u> के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिरक्षात्मक मृत्यु या पुलिस प्रताड़ना के साक्ष्य और प्रमाण के संबंध में विधि प्रतिपादित किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "16. ... उच्च न्यायालय ने इस जमीनी हकीकत को गलती से अनदेखा किया कि पुलिस प्रताड़ना या अभिरक्षात्मक मृत्यु के मामलों में, पुलिस कर्मियों की संलिप्तता का प्रत्यक्ष चाक्षुष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होता है, जब यह अवधारित किया कि इन प्रत्यर्थीगण की संलिप्तता के बारे में 'प्रत्यक्ष' साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। सामान्य तौर पर, यह केवल पुलिस अधिकारी ही होते हैं जो उन परिस्थितियों की व्याख्या कर सकते हैं जिनमें उनकी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। भ्रातृत्व के बंधन से बंधे होने के कारण, यह अज्ञात नहीं है कि पुलिसकर्मी अपने सहयोगियों को बचाने के लिए मौन रहना पसंद करते हैं और अक्सर तो सत्य को भी विकृत कर देते हैं, और वर्तमान प्रकरण इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि कैसे एक के बाद एक पुलिस साक्षियों ने पूरे प्रकरण के बारे में अज्ञानता का ढोंग किया।"

19. इसी प्रकार, **मुंशी सिंह गौतम (मृत) व अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य**[10] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एक सभ्य समाज में, जहाँ विधि का शासन है, शायद निकृष्टतम प्रकार के अपराधों में से एक है और यह एक व्यवस्थित सभ्य समाज के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न करता है, एवं निम्नानुसार अवधारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "**7.** अभियोजन द्वारा प्रत्येक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाण स्थापित करने पर अतिरंजित बल और आग्रह, उस समय भी जब अभियोजन एजेंसियां स्वयं कटघरे में हों, जमीनी हकीकतों, तथ्यात्मक स्थिति और किसी दिए गए प्रकरण की विशेष परिस्थितियों को अनदेखा करते हुए, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में है, प्रायः न्याय की विफलता में परिणत होता है और न्याय वितरण प्रणाली को संदिग्ध और भेद्य बनाता है। अंततः समाज पीड़ित होता है और एक अपराधी को प्रोत्साहन मिलता है। पुलिस अभिरक्षा में प्रताड़ना, जो हाल ही में बढ़ रही है, को कभी–कभी न्यायालयों के इस प्रकार के अवास्तविक दृष्टिकोण से भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि यह पुलिस के मन में इस विश्वास को पुष्ट करता है कि यदि एक बंदी लॉक–अप में मर जाता है तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी क्योंकि उन्हें प्रताड़ना में सीधे तौर पर फंसाने के लिए अभियोजन के पास शायद ही कोई साक्ष्य उपलब्ध होगा। न्यायालयों को इस तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु एक सभ्य समाज में, जहाँ विधि का शासन है, शायद निकृष्टतम प्रकार के अपराधों में से एक है और यह एक व्यवस्थित सभ्य समाज के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। अभिरक्षा में प्रताड़ना भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त

10 (2005) 9 SCC 631

नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करती है और यह मानवीय गरिमा का अपमान है। पुलिस की ज्यादतियाँ और अभिरक्षा में लिए गए/विचाराधीन कैदियों या संदिग्धों के साथ दुर्व्यवहार किसी भी सभ्य राष्ट्र की छवि को धूमिल करता है और "*खाकी*" वर्दिधारी पुरुषों को यह मानने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे विधि से ऊपर हैं और कभी–कभी तो स्वयं ही विधि बन जाते हैं। जब तक फसल खाने वाली बाड़ की इस बुराई को जाँचने के लिए कठोर उपाय नहीं किए जाते हैं, दाण्डिक न्याय वितरण प्रणाली की नींव हिल जाएगी और सभ्यता स्वयं ही अराजकता और निरंकुशता की ओर बढ़ने के परिणाम का जोखिम उठाएगी जो बर्बरता की याद दिलाती है। इसलिए, न्यायालयों को ऐसे मामलों को एक वास्तविक तरीके से और उस संवेदनशीलता के साथ निपटान किया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं, अन्यथा सामान्य नागरिक धीरे–धीरे न्यायपालिका की प्रणाली की प्रभावकारिता में विश्वास खो सकता है, जो यदि होता है, तो किसी के लिए भी विचार करने के लिए यह एक दुखद दिन होगा।"

20. इसी प्रकार, **मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध सेवा सिंह**[11] के प्रकरण में, **श्यामसुंदर त्रिवेदी** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित के सिद्धांत को दोहराते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभिरक्षात्मक हिंसा के प्रकरण में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त होने की संभावना कम होगी, और प्रत्यक्ष स्वतंत्र साक्षी की संभावना भी कम होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. **के.एच. शेखरप्पा व अन्य विरुद्ध कर्नाटक राज्य**[12] के प्रकरण में, अभिरक्षात्मक मृत्यु के संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह अभियुक्त/अपीलार्थीगण पर है कि वे यह स्पष्ट करें कि अभिरक्षा में लिए गए व्यक्ति की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी। रिपोर्ट के कण्डिका 50 में यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"**50.** यह तथ्य विवादित नहीं है कि मृतक और आहत को गिरफ्तार किया गया था और थाने लाया गया था। यह विवादित नहीं है कि मृतक और आहत को अपने दोनों पैरों पर चलते हुए थाने लाया गया था। चिकित्सा अधिकारियों का साक्ष्य, जिन्होंने दो मृतकों का शव परीक्षण किया था, यह इंगित करेगा कि दोनों मृतकों को अस्पताल में मृत लाया गया था। जब मृतक, जिन्हें थाने लाया गया था, वे जीवित थे और चिकित्सा अधिकारी के समक्ष मृत प्रस्तुत किए गए, तो यह अपीलार्थीगण पर है कि वे यह समझाएँ कि उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी। मृतक अपीलार्थीगण की अभिरक्षा में थे, जो पुलिस अधिकारी थे।

11 (2007) 11 SCC 295
12 (2009) 17 SCC 1

जिस समय वे पुलिस अभिरक्षा में थे, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए, यह अपीलार्थीगण के विशेष ज्ञान के भीतर था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के स्वास्थ्यकर प्रावधानों के दृष्टिगत, यह अपीलार्थीगण पर था कि वे दोनों मृतकों की मृत्यु के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।"

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की प्रयोज्यता

22. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 यह बताती है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के जानकारी में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है। अभियोजन के लिए कुछ ऐसे तथ्यों को साबित करना असंभव है जो विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में हों। धारा 106 का प्रयोजन अभियोजन को अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के अपने भार से मुक्त करना नहीं है। किंतु धारा 106 ऐसे प्रकरणों पर लागू होगी जहाँ अभियोजन ऐसे तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सिवाय इसके कि अभियुक्त ने ऐसे तथ्यों के बारे में अपने विशेष जानकारी के आधार पर कोई ऐसा स्पष्टीकरण देने में विफल रहा हो जो न्यायालय को एक भिन्न निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके।(देखें **बलवीर सिंह विरुद्ध उत्तराखंड राज्य**[13] व **अनीस विरुद्ध राज्य शासन एनसीटी**[14]) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. निर्णय के कण्डिका 102 में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित अभियोगात्मक परिस्थितियों में से एक यह थी कि मृतक सतीष नोरगे की मृत्यु की प्रकृति मानववध थी। इस संबंध में, विचारण न्यायालय ने विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि सतीष नोरगे को अ–1 से अ–4 द्वारा थाना मुलमुला लाया गया था और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पामगढ़ ले जाया गया जहाँ डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा.–11) ने प्रदर्श पी–14 के माध्यम से चिकित्सा परीक्षण किया और वह नशे की हालत में पाया गया, उसके मुँह से शराब की अत्यधिक गंध आ रही थी, आँखों में लाली भी देखी गई थी और वह ठीक से खड़ा होने में समर्थ नहीं था, और तत्पश्चात, उसे थाना में अ–1 द्वारा गिरफ्तार किया गया जैसा कि रोज़नामचा सान्हा प्रदर्श पी–31 ए में उल्लेख किया गया है और परिवार के सदस्यों को सूचित किया गया था और उसके बाद, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के अधीन कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार, यह निर्विवाद है कि मृतक सतीष नोरगे को दिनाँक 17–9–2016 को दोपहर 2.35 बजे थाना में गिरफ्तार किया गया था, डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा.–11) द्वारा प्रदर्श पी–14 के माध्यम से एमएलसी किए जाने के बाद, जिसमें डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे द्वारा उसके शरीर पर कोई चोट नहीं देखी गई थी सिवाय

13 2023 SCC OnLine SC 1261
14 2024 SCC OnLine SC 757

इसके कि वह नशे की हालत में था और उसे थाना लाया गया था। तत्पश्चात, दोपहर 3.15 बजे गिरफ्तारी के बाद, सतीष नोरगे की चिकित्सा स्थिति खराब हो गई और कहा जाता है कि उसे उल्टी आना शुरू हो गया और उसे अभियुक्त/अपीलार्थीगण द्वारा शाम 5 बजे पामगढ़ अस्पताल ले जाया गया जहाँ यह बताया गया कि उसे मृत लाया गया था और मृतक की मृत्यु के संबंध में सूचना डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा.–11) द्वारा दी गई थी। इस प्रकार, जब सतीष नोरगे को उसकी चिकित्सा परीक्षण के बाद थाना लाया गया था, हालाँकि वह नशे की हालत में था, किंतु वह जीवित था और एमएलसी के बाद वापस थाना ले जाया गया और दूसरी बार, उसे चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा.–11) के समक्ष मृत प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त, जब सतीष नोरगे की दिनाँक 17–9–2016 को दोपहर 1.55 बजे डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा.–11) द्वारा प्रदर्श पी–14 के माध्यम से चिकित्सा परीक्षण किया गया था, तो वह जीवित था और घायल नहीं था और तत्पश्चात, मृत्यु के उपरांत, जब डॉ. के.के. दाहिरे (अ.सा.–12) व दो अन्य चिकित्सकों द्वारा उसका शवपरीक्षण किया गया, तो उसके शरीर पर निम्नलिखित 26 चोटें देखी गईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. खरोंच 0.5 सेमी x 0.5 सेमी नीला–काला रंग निचले होंठ के मध्य बिंदु पर।

2. सूजन 2 सेमी x 2 सेमी ओसीसीपिटल क्षेत्र।

3. कंटूज़न लाल–काले रंग की 1 सेमी x 0.5 सेमी दाहिने कंधे पर।

4. कंटूज़न 6 सेमी x 3 सेमी दाहिने हाथ पर।

5. रैखिक खरोंच 7 सेमी लाल–काले रंग दाहिनी कोहनी पर।

6. कंटूज़न 3 सेमी x 2 सेमी दाहिनी कोहनी पर।

7. सूजन 10 सेमी x 6 सेमी हाथ की दाहिनी पीठ पर।

8. कंटूज़न 6 सेमी x 4 सेमी बाएं हाथ पर।

9. फैली हुई सूजन के साथ कंटूज़न 18 सेमी x 10 सेमी बाएं हाथ का अगला हिस्सा।

10. जांघ के बीच के हिस्से में कंटूज़न, आगे की तरफ दाईं ओर।

11. बाईं जांघ के सामने के हिस्से में 6 सेमी x 3 सेमी की कंटूज़न।

12. पैर के बाएं पिछले हिस्से में 17 सेमी x 12 सेमी की कंटूज़न।

13. पैर के बाएं अगले हिस्से में 10 सेमी x 9 सेमी की कंटूज़न।

14. दाहिने हाइपोगैस्ट्रियम में 9 सेमी x 5 सेमी की एकाइमोसिस।

15. बाएं हाइपोगैस्ट्रियम में 10 सेमी x 5 सेमी की एकाइमोसिस।

16. दाहिने इलियाक हिस्से में 5 सेमी x 4 सेमी की कंटूज़न।

17. पैर के दाहिने पिछले हिस्से में 17 सेमी x 11 सेमी की कंटूज़न।

18. कंटूज़न 14 सेमी x 5 सेमी, 10 सेमी x 5 सेमी, 14 सेमी x 4 सेमी और

पीठ में 30–40 तिरछी कई कंटूज़न।

19. ड्राई फ्लेम कंटूज़न 27 सेमी x 20 सेमी पीठ।

20. कंटूज़न 17 सेमी x 10 सेमी बाईं जांघ के बीच के हिस्से पर।

21. कंटूज़न 9 सेमी x 3 सेमी बाईं जांघ पर।

22. कंटूज़न 8 सेमी x 5 सेमी बाईं जांघ के पिछले हिस्से पर।

23. कंटूज़न 18 सेमी x 7 सेमी बाएं पैर की पिंडली पर।

24. कंटूज़न 8 सेमी x 5 सेमी बाईं जांघ पर।

25. वृहद कंटूज़न । बाएं हिप्स से जांघ के पिछले हिस्से तक बाएं पॉपलीटियल फोरलेग तक 42 सेमी x 30 सेमी

26. कंटूज़न 24 सेमी x 12 सेमी बाएं काफ़ और पैर में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. प्रदर्श–पी–34 – मृतक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 116(3) के अधीन भी कार्यवाही संचालित की गई थी। इसके उपरांत, जब वह गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया, तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पामगढ़ ले जाया गया, जहाँ डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा. 11) द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात्, दिनांक 18–9–2016 को, जब उसके शव की मृत्यु समीक्षा प्रदर्श–पी–4 के माध्यम से किया गया, तो उसके शरीर पर कई चोटें पाई गईं।

25. मृत्यु का कारण शरीर पर एकाधिक चोटें होना था, जिसके परिणामस्वरूप कंजेशन, यकृत फटने और हृदय–श्वसन अवरोध हुआ। चूंकि मृतक अपनी गिरफ्तारी के बाद दोपहर 2.35 बजे पुलिस अभिरक्षा में मरा था, और अस्पताल ले जाए जाने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसे चिकित्सक द्वारा 'मृत लाया गया' घोषित किया गया, यह निष्कर्ष कि मृत्यु मानववध थी, तथ्य का उचित निष्कर्ष है।

26. अभियोजन के कुछ साक्षियों के कथनों का अवलंब लेते हुए,(अ–1) ने एक झूठा प्रकरण प्रस्तुत किया है कि मृतक सतीष नोरगे को ग्रामीणों की भीड़ ने तब पीटा था जब वह सब–स्टेशन में उपद्रव कर रहा था। उक्त तर्क स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है, इस तथ्य के आलोक में कि मृतक की

चिकित्सकीय परीक्षण डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा. 11) द्वारा दिनांक 17–9–2016 को दोपहर 1.55 बजे प्रदर्श–पी–14 के माध्यम से किया गया था , जिसमें उन्होंने मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई थी, सिवाय इसके कि वह मद्यपान की हालत में था।

27. अभियुक्त/अपीलार्थी पुलिस अधिकारी हैं, और जब मृतक के शरीर पर 26 चोटें मौजूद थीं, तो वे डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा. 11) को इस बारे में सूचित कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। इसलिए, इस स्तर पर, वे झूठा बचाव नहीं ले सकते, जो उन परिस्थितियों को पुष्ट करता है जिनसे यह साबित होता है कि सतीष नोरगे की मृत्यु वर्तमान अभियुक्त/अपीलार्थीगण द्वारा की गई क्रूर पुलिस यातना और पिटाई के कारण हुई। इसका समर्थन सुखसागर (अ.सा. 2) – ग्राम सरपंच के साक्ष्य से भी होता है, जैसा कि उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने कथन के कण्डिका 3 में कहा है कि जब सतीष नोरगे को अस्पताल से वापस थाने लाया गया, तो उसने पानी माँगा और उसे बताया कि उसके साथ क्रुरतापूर्वक मारपीट की गई थी। इसी प्रकार, प्रकाश नोरगे (अ.सा. 3) – सतीष नोरगे के पुत्र, ने कथन किया है कि थाने के बाहर चबूतरे पर बैठे हुए उनके पिता को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी और उन्होंने उनसे पानी माँगा तथा उन्हें बताया कि 4–5 पुलिस कर्मियों ने उन्हें लकड़ी के डंडे, हाथों और पैरों से मारा था। इसी प्रकार, मिठाईलाल नोरगे (अ.सा. 4) – मृतक के चाचा, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन के कण्डिका 3, 4 व 5 में कथन किया है कि उन्होंने पुलिस को मृतक पर हमला करते हुए देखा था। रवींद्र कुमार (अ.सा. 5) – मृतक के चचेरे भाई, ने कथन किया है कि मृतक ने पुलिस अभिरक्षा में उल्टी की थी और उसे उनके द्वारा साफ किया गया था, उस समय मृतक ठीक नहीं था और उन्होंने थाना प्रभारी से उसे रिहा करने के लिए कहा था। विनीता नोरगे (अ.सा. 13) ने कथन किया है कि उन्होंने देखा कि सतीष नोरगे के हाथ बंधे हुए थे और पुलिस कर्मी उसे पीट रहे थे।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. विचारण न्यायालय द्वारा कण्डिका 102(A) से (I) में अभिलिखित अभियोगात्मक परिस्थितियाँ, जिनके अनुसार मृतक सतीष नोरगे को दिनांक 17–9–2016 को दोपहर 1.55 बजे विद्युत सब स्टेशन, नारियारा के पास जीवित अभिरक्षा में लिया गया था, और यह कि उस समय वह किसी भी चोट से पीड़ित नहीं था, जो डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा. 11) के कथन और उनकी रिपोर्ट प्रदर्श–पी–14 से तथा रोज़नामचा सनहा प्रदर्श–पी–33 के अनुसार भी स्थापित होता है, कि उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और कोई चोट नहीं पाई गई। तत्पश्चात्, उसे प्रदर्श–पी–32 के माध्यम से थाने में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद, केवल 45 मिनट के भीतर, वह अस्वस्थ हो गया और तत्पश्चात जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉ. श्रीमती रश्मि दाहिरे (अ.सा. 11) द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया, और उसके शरीर पर कई चोटें पाई गईं, तथा शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श–पी–15 में उसके शरीर पर 26 चोटें पाई गईं, और शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उसकी मृत्यु शरीर पर एकाधिक चोटों के कारण हुई, जिससे कंजेशन और हृदय–श्वसन अवरोध हुआ, ये अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित तथ्य का उचित निष्कर्ष हैं। अभियुक्त क्रमांक–1 से 4 (अ–1 to अ–4) के विशिष्ट जानकारी

में था कि उसकी मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए था। हालाँकि, अभियुक्त क्रमांक–1 से 4 द्वारा यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया जा सका कि मृतक सतीष नोरगे को 26 चोटें कैसे और किन परिस्थितियों में लगीं, जिसे विचारण न्यायालय ने उचित रुप से अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी यह स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि प्रदर्श–पी–32 के माध्यम से गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में मृतक को 26 चोटें कैसे आईं।

29. इस प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, हमारा सुविचारित अभिमत है कि विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में पूर्णतः न्यायसंगत है कि निर्णय के कण्डिका 102 में अभिलिखित अभियोगात्मक परिस्थितियों (a) से (L) संदेह से परे स्पष्ट रूप से साबित होती है और मृतक की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी, दूसरे शब्दों में, उसकी मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में मानववध हुई और यह अभिरक्षात्मक मृत्यु का प्रकरण है। अपराध कारित करने में अभियुक्त क्रमांक–2 से 4 (अ–2 to अ–4) की उपस्थिति भी अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट रूप से साबित है।

<u>आपराधिक मानव वध / हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध</u>

30. इस संबंध में, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 पर विचार करना आवश्यक है, जो आपराधिक मानव वध से संबंधित है और जो निम्नानुसार उपबंधित करती है:

> "**299. आपराधिक मानव वध–** जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, या यह जानते हुए कि यह संभाव्य है कि वह ऐसे कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, वह आपराधिक मानव वध करता है।

31. भारतीय दंड संहिता की धारा 299 तीन भागों में है जिसमें पहला भाग किसी कार्य को मृत्यु कारित करने के आशय से करने को सम्मिलित करता है, दूसरा भाग ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से संबंधित है जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, और तीसरा भाग उस कार्य से संबंधित है जो यह जानते हुए किया गया था कि अभियुक्त द्वारा ऐसे कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है।

32. इस संबंध में, **<u>लक्ष्मण कालू निकालजे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य</u>**[15] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करना लाभप्रद होगा, जिसमें माननीय न्यायाधिपतिगण ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

> "11. ... धारा 299 तीन भागों में है। प्रथम भाग मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य करने को लेता है। [जैसा कि यह स्पष्ट था] लक्ष्मण का मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था और धारा 299 का प्रथम भाग लागू नहीं होता है। द्वितीय भाग ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से संबंधित है जिससे

15 AIR 1968 SC 1390

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> मृत्यु कारित होना संभाव्य हो। यहाँ भी, आशय उस निश्चित चोट को कारित करने का होना चाहिए जिससे मृत्यु होने की संभावना हो और वह भी, जैसा कि हमने ऊपर दर्शाया है, [अभियुक्त] का आशय नहीं था। ... वह कार्य जो किया गया था, वह यह जानते हुए किया गया था कि ऐसे कार्य द्वारा [अभियुक्त] मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए संभाव्य था। यह मामला धारा 299 के तृतीय भाग के अंतर्गत आता है और धारा 304 के द्वितीय भाग के अधीन दंडनीय होगा ..."

33. **दिलीप सिंह व अन्य विरुद्ध हरियाणा राज्य**[16] के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, पुलिस अत्याचार के एक प्रकरण का निपटान करते हुए, जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा पहुंचाई गई चोटों के कारण पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई थी, सुसंगत रूप से निम्नानुसार अवधारित किया:

> "9. ... सभी चार अभियुक्तों ने मृतक को हिंसक रूप से पीटने का सामान आशय साझा किया और उन्हें यह जानकारी अवश्य रही होगी कि ऐसी चोटें पहुँचाकर, वे मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए संभाव्य थे। उच्च न्यायालय ने उन्हें धारा 304 के भाग । के अधीन दोषी ठहराया, मानो उन्होंने जानबूझकर ऐसी चोटें पहुंचाई हों जिनसे मृत्यु होने की संभावना थी। पूरे प्रकरण की समग्रता को विचार में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त उन चोटों को पहुँचाने के लिए उत्तरदायी थे और उन्हें केवल इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी चोटें पहुँचाकर वे मृत्यु कारित करने के लिए संभाव्य थे, जिस स्थिति में यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग II के अधीन दंडनीय होगा। तदनुसार, हम अभियुक्तों की धारा 304 भाग । के अधीन दोषसिद्धि और उसके अधीन दी गई 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड को अपास्त करते हैं। इसके बजाय, हम प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II की सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध करते हैं और उनमें से प्रत्येक को 5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया हैं।..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34.उक्त विधि–सिद्धांत के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि आपराधिक मानव वध के अपराध को आकृष्ट करने के लिए, अपराध मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया होना चाहिए जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो, अथवा अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य यह जानते हुए किया जाना चाहिए कि ऐसे कार्य से उसके द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है। प्रस्तुत प्रकरण में, अभियुक्त व्यक्तियों—जो थाना प्रभारी (अ–1), आरक्षकों (अ–2 से अ–3) और सैनिक (अ–4) थे— यह जानते थे कि मृतक को की गई पिटाई से मृत्यु हो सकती है, क्योंकि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण का आशय मृतक को सबक सिखाना था जिसने

16 1993 Supp (3) SCC 336

विद्युत सब–स्टेशन में उपद्रव करने का साहस किया था, यद्यपि मृतक के शरीर पर एकाधि चोटें कारित की गई थीं।

35. प्रकरण के इस दृष्टिकोण में तथा **लक्ष्मण कालू निकालजे** (पूर्वोक्त), **आर.पी. त्यागी विरुद्ध राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार)**[17] और **दिलीप सिंह** (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णयों के दृष्टिगत, हमारा यह अभिमत है कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण अ–1 से अ–4 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपराध बनता है, और तदनुसार, हम एतद्द्वारा उनकी धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्धि में परिवर्तित करते हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें दिया गया आजीवन कारावास का दंडादेश अपास्त किया जाता है और इस परिवर्तित दोषसिद्धि के लिए उन्हें दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है। तथापि, विचारण न्यायालय द्वारा उन पर अधिरोपित अर्थदण्ड, व्यतिक्रम सशर्त, यथावत रहेगा। दाण्डिक अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

36. इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अभिलेख सहित संबंधित विचारण न्यायालय को और उस जेल अधीक्षक को, जहाँ अपीलार्थी निरुद्ध हैं और कारावास का दण्ड भुगत रहे हैं, आवश्यक सूचना और कार्रवाई हेतु, यदि कोई हो, अविलंब प्रेषित की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषमुक्ति अपील क्रमांक 676/2019

37. वर्तमान दोषमुक्ति अपील सतीष नोरगे (मृतक)जिसकी पुलिस अभिरक्षात्मक हिंसा के कारण मृत्यु हुई है की विधवा उषा देवी नोरगे की ओर से प्रस्तुत की गई है। यह अपील जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1) को अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(j) और धारा 3(2)(v) के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध की गई है।

38. दोषमुक्ति अपील का निर्णय करने हेतु, अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) पर विचार करना उचित होगा, जो दिनांक 26–01–2016 से प्रभावी संशोधन से पूर्व निम्नानुसार थी:

"3. अत्याचारों के अपराधों के लिए दण्ड ––

(1) x x x x x x

(2) जो कोई व्यक्ति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है ––

(i) से (iv) x x x x x x

> (v) भारतीय दंड संहिता के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है

17 (2009) 17 SCC 445

> या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

दिनांक 26–01–2016 से प्रभावी संशोधन से पूर्व, अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) का असंशोधित भाग यह था:

> "इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है।"

संशोधन के पश्चात्, अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) का प्रतिस्थापित भाग यह है:

> "यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है।"

39. अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के असंशोधित प्रावधान पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष **पाटन जमन वली विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य**[18] के प्रकरण में विचार किया गया था, जिसमें माननीय न्यायाधिपतिगण ने यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियोजन को यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त ने इस आधार पर लैंगिक संभोग/अपराध कारित किया है कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य है, और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "58. ... हम सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि अभियोजन का प्रकरण केवल इसलिए विफल नहीं होगा कि अ.सा.–1 ने पुलिस को दिए अपने कथन में यह उल्लेख नहीं किया कि उसकी पुत्री के विरुद्ध अपराध इसलिए किया गया क्योंकि वह अनुसूचित जाति की स्त्री थी। तथापि, अभियोजन द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई पृथक् साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त ने अ.सा.–2 की जाति पहचान के आधार पर अपराध किया था। यद्यपि यह मानना युक्तियुक्त होगा कि अभियुक्त अ.सा.–2 की जाति जानता था, क्योंकि ग्रामीण समुदाय घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और अभियुक्त भी अ.सा.–2 के परिवार का परिचित था, किंतु केवल जानने को अपराध करने का आधार नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से धारा 3(2)(v) की उस भाषा के संदर्भ में जैसी वह उस समय थी जब वर्तमान प्रकरण में अपराध किया गया था। जैसा कि हमने ऊपर्युक्त विमर्श किया है, अ.सा.–2 जिस अंतर–समुदायिक उत्पीड़न का सामना करती है, उसके कारण यह स्थापित करना कठिन हो जाता है कि अपराध किस वजह से किया गया था — क्या यह उसकी जाति, लिंग या निःशक्तता थी। यह ऐसे प्रावधान की सीमा को

18 AIR 2021 SC 2190

उजागर करता है जहाँ दोषपूर्ण कार्य का कारण एकल आधार से उत्पन्न होता है, जिसे हम एकल अक्ष मॉडल कहते हैं।

59. यह उल्लेख करना समीचीन है कि धारा 3(2)(v) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था, जो 26 जनवरी 2016 से प्रभाव में आया। धारा 3(2)(v) के अधीन "इस आधार पर" शब्दों को "यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है" शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसने यह साबित करने की सीमा को कम कर दिया है कि अपराध जाति पहचान के आधार पर किया गया था, उस सीमा तक जहाँ केवल जानना ही दोषसिद्धि को यथावत रखने के लिए पर्याप्त है...

60. x x x x x x

61. तथापि, चूंकि धारा 3(2)(v) को संशोधित किया गया था और धारा 8 के खंड (ग) को अधिनियम 2016 के 1 द्वारा 26 जनवरी 2016 से प्रभावी रूप से अंतःस्थापित किया गया था, ये संशोधन वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होंगे। वर्तमान प्रकरण में अपराध संशोधन से पहले 31 मार्च 2011 को हुआ था। अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि वर्तमान प्रकरण में साक्ष्य यह स्थापित नहीं करता है कि अपराध इस आधार पर किया गया था कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। फलस्वरूप, धारा 3(2)(v) के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त करना होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के प्रावधान में संशोधन के पश्चात्, प्रतिस्थापित भाग का शब्दांकन "यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी संपत्ति ऐसे सदस्य की है" है। शब्द "जानते हुए" को ब्लैक लॉ डिक्शनरी, आठवाँ संस्करण, पृष्ठ 888 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: "1. जागरूकता या समझ रखना या दर्शाना; सुविज्ञ। 2. सुविचारित; सचेत।"

41. **शशिकांत शर्मा व अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य**[19] के प्रकरण में, अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) यथासंशोधित पर माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय न्यायाधिपतिगण के समक्ष

19 2023 SCC Online SC 1599

विचारार्थ आया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) (यथासंशोधित) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए, यह आरोप होना आवश्यक है कि अभियुक्त, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उसने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरुद्ध यह जानते हुए किया कि वह व्यक्ति उक्त समुदाय से संबंधित है।

42. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतिगण द्वारा अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) (जो दिनांक 26–01–2016 से प्रभावी रूप से संशोधित हुई) के संबंध में प्रतिपादित पूर्वोक्त विधि सिद्धांत को विचार में रखते हुए, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अभिलेख पर प्रस्तुत संपूर्ण सामग्री से यह सुस्पष्ट है कि यह साबित करने के लिए कोई विधिमान्य ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपीलार्थी जितेंद्र सिंह राजपूत (अ–1) ने यह भली–भांति जानते हुए अपराध कारित किया कि मृतक अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है। अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) (यथासंशोधित) केवल तभी प्रवृत्त की जा सकती है जब यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो जाए कि अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य के विरुद्ध यह जानते हुए किया गया है कि वह व्यक्ति उक्त समुदाय से संबंधित है। अभियोजन अभिलेख पर ऐसा विधिक साक्ष्य ला सकता था जो यह दर्शाता कि अपीलार्थी (अ–1) को यह सुविज्ञ जानकारी थी कि मृतक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है। इसलिए, दिनांक 26–01–2016 से संशोधन के पश्चात अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) की भाषा को देखते हुए, और यह भी कि अभियोजन को **शशिकांत शर्मा** (पूर्वोक्त) के निर्णय के आलोक में यह प्रदर्शित करने के लिए पृथक् साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक था कि अपीलार्थी ने मृतक की जाति पहचान को भली–भांति जानते हुए प्रश्नगत अपराध किया है, अतः अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(j) और धारा 3(2)(v) के अधीन आरोपों से अ–1 की दोषमुक्ति विधि की दृष्टि में संधारणीय है और एतद्द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। तदनुसार, दोषमुक्ति अपील में कोई सार न होने के कारण इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निष्कर्ष

43. (1) अपीलार्थीगण अ–1 से अ–4 की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक 611/2019, 705/2019, 681/2019 व 609/2019 स्वीकार की जाती हैं।

(2) परिवादी उषा देवी नोरगे–मृतक की पत्नी–की ओर से प्रस्तुत दोषमुक्ति अपील क्रमांक 676/2019 खारिज की जाती है।

सही/– (संजय के. अग्रवाल) **न्यायाधीश**	सही/– (दीपक कुमार तिवारी) **न्यायाधीश**

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur